# नगर पंचायत चौपाल, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश के लेखाओं अवधि 01.04.13 से 31.3.15 का अंकेक्षण एवम् निरीक्षण प्रतिवेदन

## भाग—एक

**1 (क) प्रारम्भिकः—**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन हाने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1—376/81—फिन(एल0ए0) —खण्ड—IV दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अवधि 1.4.13 से 31.3.15 का अंकेक्षण कार्य किया गया।

**अंकेक्षण अवधि 4/2013 से 3/2015 तक नगर पंचायत चौपाल, जिला शिमला के सचिव व आहरण एवं वितरण अधिकारी निम्नानुसार थेः—**

| क्र0सं0 | अधिकारी का नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्री मान सिंह चौहान नायब तहसीलदार चौपाल | 1.4.13 स 30.11.13 |
| 2 | श्री मोहन सिंह नेगी, तहसीलदार चौपाल | 1.12.13 से 15.3.14 |
| 3 | श्री कपिल तोमर तहसीलदार चौपाल | 16.3.14 से 7.8.14 |
| 4 | श्री अनिल चौहान सचिव नगर पंचायत कोटखाई | 11.11.14 से 31.3.15 |

**(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :—**

**नगर पंचायत चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के अवधि 4/13 से 3/15 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सारः—**

| क्र0सं0 | गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त सार | पैरा सं0 | राशि लाख |
|---|---|---|---|
| 1 | अनुदान की राशि का उपयोग न करना | 6 (क) | 74.80 |
| 2 | गृहकर की बकाया राशि वसूली हेतु शेष | 8 | 28.20 |
| 3 | किराये की राशि वसूली हेतु शेष | 10 (क) | 18.38 |
| 4 | गृहकर में वृद्धि/संशोधन न करने के कारण हानि | 9 | 8.40 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | दुकान के कम किराया निर्धारण पर हानि | 10 (ग) | 2.31 |
| 6 | वेतन व भत्ते का अधिक भुगतान | 7 | 1.89 |
| 7 | बिजली उपकर की बकाया राशि  वसूली हेतु शेष | 11 | 1.21 |
| 8 | नगर पंचायत की आय को बैंक खाते में जमा न करना | 4 (ङ) | 1.15 |
| 9 | दुकानों को विलम्ब से आबंटन पर वित्तीय हानि | 10 (ख) | 0.84 |
| 10 | बिजली के बिलों की राशि का अनियमित भुगतान | 17 | 0.39 |
| 11 | मोबाईल टावरों के नवीनीकरण शुल्क की राशि वसूली हेतु शेष | 12 | 0.39 |
| 12 | विभिन्न प्रकार की वस्तुऐं क्रय करने में अनियमित भुगतान | | 0.38 |
| 13 | गलत गणना के फलस्वरूप ठेकेदार को अधिक भुगतान | | 0.10 |

### (ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः—

गत अंकेक्षण प्रतिवेदना के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क"** पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः यह प्रकरण उच्चधिकारियों के ध्यान में लम्बित पैरों के निपटारे के लिए आगामी आवश्यक कार्रवाई करने हेतु लाया जाता है।

## भाग—दो

### 2 वर्तमान अंकेक्षण :—

नगर पंचायत चौपाल के लेखाओं अवधि 04/2013 से 03/2015 का वर्तमान अंकेक्षण, श्री राम सिंह चौहान तथा श्री मनजीत भाटिया, अनुभाग अधिकारियों द्वारा दिनांक 16.4.15 से 14.5.15 के दौरान किया गया। आय व व्यय की विस्तृत जाँच हेतु क्रमशः माह 04/13 11/14 तथा 4/13 11/14 के लेखाओं का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामो पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण संस्था के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख व सूचनाओं के आधार पर किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा कोई गलत सूचना/सूचना उपलब्ध न

करवाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण केवल चयनित मासों तक ही सीमित रखा गया है।

## 3 अंकेक्षण शुल्क :–

नगर पंचायत चौपाल के अवधि 04/2013 से 03/2015 के लेखाओं के अंकेक्षण करने का शुल्क ₹21000/– (इक्कोस हजार ₹ मात्र) बनता है। अनुभाग अधिकारी के पत्र संख्या 8 दिनाँक 11.5.15 द्वारा सचिव नगर पंचायत, चौपाल से उक्त शुल्क की राशि को बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमाला–9 को शीघ्र प्रेषित करने का अनुरोध किया गया। उक्त राशि को यूको बैंक शाखा, चौपाल के बैंक ड्राफ्ट संख्या 128036 दिनांक 19.5.2015 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को प्रेषित कर दिया गया है।

## 4 वित्तीय स्थिति :–

(क) नगर पंचायत द्वारा प्रस्तुत अंकेक्षणाधीन अवधि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

| वर्ष | प्रारम्भिक शेष | प्राप्तियॉ | योग | व्यय | अन्तिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| **2013–14** | | | | | |
| स्वयं संसाधन | 1988958 | 597692 | 2586650 | 790685 | 1795965 |
| अनुदान | 3516908 | 3308390 | 6825298 | 2588432 | 4236866 |
| **योग** | **5505866** | **3906082** | **9411948** | **3379117** | **6032831** |
| **2014–15** | | | | | |
| स्वयं संसाधन | 1795965 | 1244782.49 | 3040747.49 | 620650 | 2420097.49 |
| अनुदान | 4236866 | 5660002 | 9896868 | 2416905 | 7479963 |
| **योग** | **6032831** | **6904784.49** | **12937615.49** | **3037555** | **9900060.49** |

| | |
|---|---|
| रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 31.3.15 को अन्तशेष | 9900060.49 |
| विभिन्न बैंक खातों में 31.3.15 को जमा राशि | 9894337.49 |
| रोकड़ बही तथा विभिन्न बैंक खातों में जमा राशि का अन्तर | 5723.00 |

**(ख) दिनाँक 31.3.15 तक बैंकों में जमा राशि का विवरणः–**

| क्र0सं0 | बैंक नाम/खाता सं0 | जमा राशि (₹) में |
|---|---|---|
| 1 | यूको बैंक खाता संख्या 8060 | 1061978.00 |
| 2 | यूको बैंक खाता संख्या 8360 | 4908718.49 |
| 3 | यूको बैंक खाता संख्या 3793 | 2041008.00 |
| 4 | हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक खाता संख्या 7240 | 530648.00 |
| 5 | हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक खाता संख्या 6771 | 58245.00 |
| 6 | हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक खाता संख्या 7296 | 48142.00 |
| 7 | हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक खाता संख्या 9711 | 70259.00 |
| 8 | हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक खाता संख्या 9712 | 82833.00 |
| 9 | हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक खाता संख्या 5738 | 208350.00 |
| 10 | (पी0एल0ए0) 8448 | 106.00 |
| 11 | सावधि जमा खाता संख्या 79 | 884050.00 |
| | **योग** | **9894337.49** |

**(ग) वित्तीय स्थिति/रोकड़ बही एवं बैंक खातों मं उपरोक्त विवरणानुसार जमा राशि में ₹5723.00 (9900060.49–9894337.49) का अन्तर था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–**

| क्र0सं0 | दिनांक | विवरण | राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.3.15 | दिनांक 31.3.13 को ₹99274.00 की राशि जो बैंक खातों में कम जमा थी जिसका दिनांक 31.3.15 तक समाधान नहीं किया गया था | (–)99274 |
| 2 | 1.4.13 | रोकड़ बही पृष्ठ–73 पर ₹2205.00 की राशि जमा थी जबकि बैंक में ₹2055 जमा किए गए थे | (–) 150 |
| 3 | 16.4.13 | रोकड़ बही पृष्ठ–81 पर ₹1060 की राशि जमा थी जबकि बैंक में ₹965 जमा किए गए थे | (–)95 |
| 4 | 24.4.13 | रोकड़ बही पृष्ठ–83 पर ₹4485 की राशि जमा थी जबकि बैंक में ₹4380 जमा किए गए थे | (–)105 |
| 5 | 26.4.13 | ₹820 की राशि बैंक में जमा की गई परन्तु रोकड़ बही में | (+)820 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | इसका लेखांकन नहीं किया गया। | |
| 6 | 1.5.13 | रोकड़ बहो पृष्ठ–85 पर ₹3075 की राशि जमा थी जबकि बैंक में ₹2360 जमा किए गए थे | (–)715 |
| 7 | 14.10.13 | रोकड़ बही पृष्ठ–114 पर ₹5960 की राशि जमा थी जबकि बैंक में ₹5950 जमा किए गए थे। | (–)10 |
| 8 | 14.11.13 | रोकड़ बही पृष्ठ–117 पर ₹24390 की राशि जमा थी जबकि बैंक में ₹24525 जमा किए गए थे। | (+)135 |
| 9 | 24.2.14 | ₹375 की राशि बैंक में जमा की गई परन्तु रोकड़ बही में इसका लेखांकन नहीं किया गया। | (+)375 |
| 10 | 2.4.14 | रोकड़ बही पृष्ठ–127 पर ₹3520 की राशि जमा थी जबकि बैंक में ₹3510 जमा किए गए थे। | (–)10 |
| 11 | 6.5.14 | रोकड़ बही पृष्ठ–130 पर ₹2800 की राशि जमा थी जबकि बैंक में ₹2710 जमा किए गए थे। | (–)90 |
| 12 | 25.5.14 | रोकड़ बही पृष्ठ–131 पर ₹4130 की राशि जमा थी जिसे बैंक में जमा नहीं किया गया था। | (–)4130 |
| 13 | 25.5.14 | रोकड़ बही पृष्ठ–131 पर ₹61000 की राशि जमा थी जबकि बैंक में ₹30000 जमा किए गए थे। | (–)31000 |
| 14 | 27.7.14 | रोकड़ बही पृष्ठ–140 पर ₹28630 की राशि जमा थी जबकि बैंक में ₹33220 जमा किए गए थे। | (+)4590 |
| 15 | 12.11.14 | रोकड़ बही पृष्ठ–147 पर ₹19852 की राशि जमा थी जिसे बैंक में जमा नहीं किया गया था। | (–)19852 |
| 16 | 16.12.14 | रोकड़ बही पृष्ठ–153 पर ₹21645 की राशि जमा थी जबकि बैंक में ₹17528 जमा किए गए थे। | (–)4117 |
| 17 | 30.12.14 | रोकड़ बही पृष्ठ–154 पर ₹11690 की राशि जमा थी जिसे बैंक में जमा नहीं किया गया था। | (–)11690 |
| 18 | 24.3.15 | ₹43630 की राशि बैंक में सीधी जमा की गई परन्तु रोकड़ | (+)43630 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | बही में इसका लेखांकन नहीं किया गया। | |
| 19 | 31.3.15 | रोकड़ बही पृष्ठ–160 पर ₹43220 की राशि जमा थी जिसे बैंक में जमा नहीं किया गया था। | (–)43220 |
| 20 | 13.1.15 | रोकड़ बही पृष्ठ–156 पर ₹7700 की राशि जमा थी जिसे दिनांक 31.3.15 के पश्चात दिनांक 7.4.15 को बैंक में जमा किया गया | (–)7700 |
| 21 | 6.2.15 | रोकड़ बही पृष्ठ–157 पर ₹17042 की राशि जमा थी जिसे दिनांक 31.3.15 के पश्चात दिनांक 7.4.15 को बैंक में जमा किया गया | (–)17042 |
| 22 | 26.2.15 | रोकड़ बही पृष्ठ–158 पर ₹730 की राशि जमा थी जिसे दिनांक 31.3.15 के पश्चात दिनांक 7.4.15 को बैंक में जमा किया गया | (–)730 |
| 23 | 31.3.15 | रोकड़ बही पृष्ठ–160 पर ₹23990 की राशि जमा थी जिसे दिनांक 31.3.15 के पश्चात दिनांक 7.4.15 को बैंक में जमा किया गया | (–)23990 |
| 24 | 30.9.13 | बैंक द्वारा बचत खाते पर ब्याज दिया गया जिसका लेखांकन रोकड़ बही में नहीं किया गया | (+)1079 |
| 25 | 31.3.14 | बैंक द्वारा बचत खाते पर ब्याज दिया गया जिसका लेखांकन रोकड़ बही में नहीं किया गया | (+)1095 |
| 26 | 30.9.14 | बैंक द्वारा बचत खाते पर ब्याज दिया गया जिसका लेखांकन रोकड़ बही में नहीं किया गया | (+)1123 |
| 27 | 4.2.13 | रोकड़ बही पृष्ठ–65 पर चैक संख्या 340182 जारी किया गया जिसे दिनांक 31.3.15 तक भुनाया नहीं गया | (+)200 |
| 28 | 11.4.13 | ₹191875.00 का चैक संख्या 640187 भुगतान हेतु जारी किया गया जिसे दिनांक 13.4.13 को बैंक से भुना लिया गया जबकि रोकड़ बही में पृष्ठ–80 पर गलती से ₹193875.00 की राशि का लेखांकन किया गया। इस प्रकार रोकड़ बही में ₹2000 (191875–193875) का अधिक | (+)2000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | लेखांकन किया गया | |
| 29 | 13.11.13 | रोकड़ बही पृष्ठ–116 पर चैक संख्या 982459 जारी किया गया जिसे दिनांक 31.3.15 तक भुनाया नहीं गया | (+)751 |
| 30 | 13.11.13 | रोकड़ बही पृष्ठ–116 पर चैक संख्या 982460 जारी किया गया जिसे दिनांक 31.3.15 तक भुनाया नहीं गया | (+)564 |
| 31 | 13.11.13 | रोकड़ बही पृष्ठ–116 पर चैक संख्या 982464 जारी किया गया जिसे दिनांक 31.3.15 तक भुनाया नहीं गया | (+)564 |
| 32 | 13.11.13 | रोकड़ बही पृष्ठ–116 पर चैक संख्या 982465 जारी किया गया जिसे दिनांक 31.3.15 तक भुनाया नहीं गया | (+)564 |
| 33 | 14.11.14 | रोकड़ बही पृष्ठ–148 पर ₹101262 का चैक संख्या 998005 भुगतान हेतु जारी किया गया परन्तु बैंक द्वारा ₹101279 का भुगतान किया गया जिसमें ₹17 (101262–101279) चैक शुल्क के रूप में काटे गए जिसका रोकड़ बही में लेखांकन नहीं किया गया | (–)17 |
| 34 | 26.1.14 | बैंक द्वारा बैंक ड्राफ्ट शल्क की कटौती की गई जिसका रोकड़ बही में लेखांकन नहीं किया गया | (–)72 |
| 35 | 13.1.15 | रोकड़ बहो पृष्ठ–156 पर ₹227500 का चैक संख्या 998035 भुगतान हेतु जारी किया गया परन्तु बैंक द्वारा ₹227530 का भुगतान किया गया जिसमें ₹30 (227500–227530) आर0टी0जी0एस0 शुल्क के रूप में काटे गए जिसका रोकड़ बही में लेखांकन नहीं किया गया | (–)30 |
| 36 | 12.1.15 | रोकड़ बही पृष्ठ–155 पर चैक संख्या 998029 जारी किया गया जिसे दिनांक 31.3.15 तक भुनाया नहीं गया | (+)2000 |
| 37 | 12.1.15 | रोकड़ बही पृष्ठ–155 पर चैक संख्या 998031 जारी किया गया जिसे दिनांक 31.3.15 तक भुनाया नहीं गया | (+)2000 |
| 38 | 4.2.15 | रोकड़ बही पृष्ठ–157 पर चैक संख्या 998045 जारी किया गया जिसे दिनांक 31.3.15 तक भुनाया नहीं गया | (+)1081 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 39 | 26.2.15 | रोकड़ बही पृष्ठ–158 पर चैक संख्या 998046 जारी किया गया जिसे दिनांक 31.3.15 तक भुनाया नहीं गया | (+)42944 |
| 40 | 26.2.15 | रोकड़ बही पृष्ठ–158 पर चैक संख्या 998047 जारी किया गया जिसे दिनांक 31.3.15 के उपरान्त दिनांक 6.4.2015 को भुनाया गया | (+)152801 |
| | | **अन्तर** | **5723** |

## (घ) दिनांक 31.3.13 को वित्तीय स्थिति एवं बैंक शेषों में पाए गए अन्तर राशि ₹99274.00 का दिनांक 31.3.15 तक समाधान न करनाः–

दिनांक 31.3.13 को वित्तीय स्थिति एवं बैंक शेषों में ₹599274/– का अन्तर था। इस राशि में से ₹500000/– की राशि सावधि जमा निवेश खाता संख्या 40530300079 में दिनांक 21.3.05 को निवेशित की गई थी जो दिनांक 31.3.15 तक ब्याज सहित उक्त पैरा संख्या 4 (ख) में दिए गए विभिन्न बैंकों के शेषों के विवरण में शामिल है। इस प्रकार दिनांक 31.3.15 को वित्तीय स्थिति एवं बैंक शेषों में ₹99274/– (599274–500000) की शेष राशि का ही अन्तर था जो दिनांक 31.3.13 को बैक खातों में कम जमा पाई गई थी तथा जिसका दिनांक 31.3.15 तक भी समाधान नहीं किया गया था। विगत कई वर्षों से ₹99274/– की राशि का वित्तीय स्थिति/रोकड़ बही से मिलान/समाधान न करना अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। अतः इस अनियमितता बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए व उपरोक्त वर्णित अन्तर की राशि ₹99274/– की पूर्ण छानबीन उपरान्त इसे बैंक में जमा करके लेखों में शीघ्र अपेक्षित समाधान सुनिश्चित किया जाए। कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को भी तदानुसार अवगत करवाया जाए।

## (ङ) ₹115184/– की आय को बैंक में जमा न करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 1971 के नियम 2.4 के अनुसार जिस दिन किसी विभाग/संस्था को आय प्राप्त होती है उसे उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस में आवश्यक रूप से बैंक/कोष में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेखा परीक्षा के दौरान नगर पंचायत, चौपाल के खाता संख्या 3793 जोकि यूको बैंक, शाखा चौपाल में खोला गया है की जाँच करने पर पाया गया कि माह 4/13 से 3/15 तक ₹115184/– की आय जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ख"** पर संलग्न है को बैंक में जमा नहीं करवाया गया है। इस बारे में

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 6 दिनांक 28.4.15 द्वारा सचिव, नगर पंचायत चौपाल से स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक नगर पंचायत से इस बारे में कोई भी स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ। इससे प्रतीत होता है कि उक्त राशि का गबन हुआ है। अतः ₹115184/– की राशि को सम्बन्धित से वसूल करके तुरन्त नगर पंचायत के खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए और सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की वित्तीय अनियमितता को न दोहराया जा सके।

## (च) ₹2643/–के कालातीत चैकों का समाधान न करनाः–

नियमानुसार जारी किए गए चैकों को तीन मास के भीतर बैंक को भुगतान हेतु प्रस्तुत करने होते है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार ₹2643/– के चैक वर्ष 2013 में बैंक से भुगतान हेतु जारी किए गए जिनको उक्त अवधि के भीतर भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप यह चैक कालातीत हो चुके थे परन्तु इनका रोकड़ बही में प्राप्ति साईड पुनः दज/समाधान नहीं किया गया था। अतः इतनी लम्बी अवधि से कालातीत हो चुके चैकों का रोकड़ बही में आवश्यक समाधान न करना अनियमित ही नहीं बल्कि आपत्तिजनक भी है जिस बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए व कालातीत हो चुके चैकों का रोकड़ बही में शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

| क्र0सं0 | रोकड़ बही पृ0सं0 | चैक सं0 | दिनांक | राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 640182 | 4.2.13 | 200 |
| 2 | 116 | 982459 | 13.11.13 | 751 |
| 3 | 116 | 982460 | 13.11.13 | 564 |
| 4 | 116 | 982464 | 13.11.13 | 564 |
| 5 | 116 | 982465 | 13.11.13 | 564 |
| | | | **योग** | **2643** |

## (छ) निष्क्रिय बचत बैंक खातों को बन्द करने बारेः–

नगर पंचायत चौपाल के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत के नाम पर निम्नलिखित बैंकों में बचत खाते गत कई वर्षों से बिना किसी लेन देन क चल रहे है। इन

खातों को बिना लेन–देन के चालू रखने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इन खातों को तुरन्त बन्द करवाकर जमा राशि ₹998584 को मुख्य बचत खाते में जमा किया जाए:–

| **क्र0सं0** | **बैंक का नाम** | **खाता संख्या** | **31.3.15 को जमा राशि** |
|---|---|---|---|
| 1 | हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक सीमित | 6771 | 58245 |
| 2 | हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक सीमित | 9711 | 70259 |
| 3 | हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक सीमित | 9712 | 82833 |
| 4 | हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक सीमित | 7296 | 48143 |
| 5 | हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक सीमित | 7240 | 530648 |
| 6 | हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक सीमित | 5738 | 208350 |
| 7 | पी0एल0ए0 | 8448 | 106 |
| | | **योग** | **998584** |

## 5 सावधि निवेशः–

दिनांक 31.3.2015 को ₹884050/– की राशि सावधि जमा योजना के अन्तर्गत निवेशित थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

| **निवेश की तिथि** | **खाता सं0** | **बैंक का नाम** | **निवेशित राशि ₹ में** | **परिपक्वता तिथि** | **ब्याज दर** | **परिपक्वता राशि (₹) में** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.13 | 40530300079 | हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक | 884050 | 23.8.16 | 8.25% | 1137789 |

उपरोक्त सावधि जमा राशि को परिपक्वता उपरान्त पुनः निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

## 6 अनुदान :–

नगर पंचायत द्वारा अवधि 1.4.2013 से 31.3.2015 के दौरान प्राप्त अनुदानों/किये गये व्यय व दिनांक 31.3.2015 को पाये गये अन्तशेष का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ग"** पर दिया गया है।

### (क) 31.3.15 तक अनुदान की राशि ₹74.80 लाख का उपयोग न करनाः–

**परिशिष्ट "ग"** के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 1.4.13 को अनुदान की राशि ₹3516908/– व्यय हेतु उपलब्ध थी अवधि 2013–14 व 2014–15 के दौरान पंचायत द्वारा विभिन्न स्त्रोतों से अनुदान की राशि ₹8968392/– प्राप्ति के फलस्वरूप उक्त अवधि के दौरान उपलब्ध कुल अनुदान की राशि ₹12485300/– में से राशि ₹5005337/– का व्यय करने के उपरान्त अनुदानों की राशि ₹7479963.00 व्यय हेतु दिनांक 31.3.15 को शेष थी। अतः अनुदान राशियों का सम्बन्धित वर्षों में पूर्ण व्यय न किये जाने बारे स्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट की जाये तथा शेष राशियों को नियमानुसार अविलम्ब व्यय किये जाने बारे ठोस पग उठाये जाये अन्यथा अनुपयुक्त अनुदान राशियों का प्रत्यर्पण सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त नगर पंचायत द्वारा सरकार से अनुदानों के रूप में प्राप्त की गई राशि तथा उसमें से किये गये व्यय का कोई भी रजिस्टर नहीं लगाया गया था, जिस कारण इन अनुदानों से प्राप्त राशि के विस्तृत विवरण के अतिरिक्त प्राप्त राशि का किस–2 कार्य पर कितना व्यय किया गया तथा इस व्यय में कौन–2 से कार्य करवाए गए इसकी जाँच अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी। अनुदान कार्यो के रजिस्टर का रख–रखाव न किया जाना एक गम्भीर त्रुटि है। अतः यह प्रकरण निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश के विशेष ध्यान में उचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है तथा परामर्श दिया जाता है कि अनुदान रजिस्टर व कार्य रजिस्टर का शीघ्र निर्माण किया जाये तथा इसे सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**7 श्री रजिन्द्र सिंह लिपिक को वेतन व भत्तों के रूप में राशि ₹1.89 लाख का अधिक भुगतानः–**

सचिव नगर पंचायत चौपाल के कार्यालय आदेश संख्या सचिव–एन0पी0–98–710 दिनांक 25.11.1998 द्वारा श्री राजिन्द्र सिंह झारटा को लिपिक पद पर दिनांक 1.4.98 से ₹3120–5160 के वेतनमान पर नियुक्ति की गई थी। श्री राजिन्द्र सिंह झारटा का 1.1.106 स संशोधित वेतनमानों ₹5910–20200+1950 ग्रेड पे में वेतन निर्धारित किया गया था लेकिन सेवा पुस्तिका में वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कार्यालय आदेशों का कोई विवरण नहीं दिया गया था तथा निजी नस्ति उपलब्ध नहीं करवाई गई। संशोधित वेतनमानों से सम्बन्धित जारी दिशा निर्देशों के अनुसार श्री राजिन्द्र सिंह झारटा लिपिक का वेतन 1.1.06 से ₹5910–20200+1900 ग्रेड पे के वेतनमान में निर्धारित किया जाना था। सेवा

पुस्तिका में दर्शाये गये निर्धारित वेतन वास्तव में आहरित वेतन व नियमानुसार जो वेतन निर्धारित किया जाना था में भिन्नता पाई गई जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

| **क्र0सं0** | **दिनांक / विवरण** | **1.1.06 को असंशोधित मूल वेतन** | **1.1.06 को नियमानुसार संशोधित मूलवेतन जो बनता था** | **1.1.06 से सेवा पुस्तिका में दर्ज / निर्धारित संशोधित मूल वेतन** | **1.1.06 से वेतन बिलों के अनुसार वास्तव में आहरित मूल वेतन** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1.06 | 4020 | 9380 (7480+1900 जी0पी0) | 9880 (7930+1900 जी0पी0) | 9380 (7480+1900) |
| 2 | 1.4.06 (वार्षिक वेतन वृद्धि) | 4140 | 9670 (7770+1900) | 10180 (8230+1950) | 9960 |
| 3 | 1.4.06 (आठ वर्ष के उपरान्त ए0सी0पी0एस0) | 4260 | 10010 (8060+1950) | 10180 (8540+1950) | 9960 |
| 4 | 1.4.07 (वार्षिक वेतन वृद्धि) | 4400 | 10310 (8360+1950) | 10490 (8860+1950) | 10260 |
| 5 | 1.4.08 (वार्षिक वेतन वृद्धि) | 4550 | 10620 (8670+1950) | 10810 (9190+1950) | 10570 |
| 6 | 1.4.09 (वार्षिक वेतन वृद्धि) | 4700 | 10940 (8990+1950) | 11140 (9530+1950) | 10890 (1.10.09 12350) |
| 7 | 1.4.10 (वार्षिक वेतन वृद्धि) | – | 11270 (9320+1950) | 11480 (9880+1950) | 12720 |
| 8 | 1.4.11 (वार्षिक वेतन वृद्धि) | – | 11610 (9660+1950) | 11830 (10240+1950) | 13110 |
| 9 | 1.4.12 (वार्षिक वेतन वृद्धि) | – | 11960 (10010+1950) | 12190 (10240+1950) | 13110 1.8.12 13510 1.10.12 15210 |
| 10 | 1.10.12 (संशोधित वेतनमान स्वीकृत करने पर) | – | 13500 (10300+3200) | सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि नहीं की गई थी | 15210 (11610+3600) |
| 11 | 1.10.13 (वार्षिक | – | 13910 | सेवा पुस्तिका | 15670 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | वेतन वृद्धि) | | (10710+3200) | में प्रविष्टि नहीं की गई थी | (12070+3600) |
| 12 | 1.10.14 (वार्षिक वेतन वृद्धि) | — | 14330 (11130+3200) | सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि नहीं की गई थी | 16140 (12540+3600) |

उपरोक्त विवरणानसार सेवा पुस्तिका में दर्शाये गये वेतन से कम व ज्यादा वेतन, वेतन बिलों के अनुसार अनियमित रूप से आहरित किया गया तथा दिनांक 1.10.09, 1.8.12, 1.10.12, 1.10.13 व 1.10.14 को बिना किसी कार्यालय आदेश व बिना किसी औचित्य क वेतन बिलों में अधिक वेतन दर्शाकर वतन आहरित किया गया जाकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता का मामला है। इस सम्बन्ध में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 16 में भी आपत्ति उठाई गई थी। परन्तु नगर पचायत द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। परिणामस्वरूप उक्त लिपिक को अवधि 1.10.09 से 31.3.15 तक ₹188795/— का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण **परिशिष्ट "घ"** पर संलग्न है। इस बारे में अधियाचना संख्या 10 दिनाँक 11.5.15 द्वारा नगर पंचायत से तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर नगर पंचायत से प्राप्त नहीं हुआ। अतः उपरोक्त कर्मचारी को ₹188795/— की राशि का अनियमित प्रकार से अधिक भुगतान की पूर्ण छानबीन उपरान्त शीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए व अनुपालना अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। साथ ही यह मामला आगामी उचित कार्रवाई हेतु स्थानीय निकाय के उच्चाधिकारियों के विशेष रूप से ध्यानार्थ लाया जाता है।

## 8 31.3.15 तक गृहकर की राशि ₹28.20 लाख वसूली हेतु शेषः—

दिनांक 31.3.2015 तक गृहकर ₹2820100 की राशि वसूली हेतु शेष थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है। वर्ष 2013—14 से 2014—15 तक दो वषो में कुल ₹3007359 (2490217+517142) की मॉग के विरूद्ध केवल ₹187259.00 की वसूली की गई जोकि 6.22**%** है इस प्रकार वसूली की दर बहुत निम्न थी जोकि नगर पंचायत की कमजोर वित्तीय स्थिति का एक मुख्य कारण है। निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या यू0एल0बी0 एच (ए) (7)—1/87—9297—9284 दिनांक 25.6.2001 के अनुसार करों की शत प्रतिशत वसूली की जानी अपेक्षित थी। गृहकर की वसूली हेतु नियमानुसार ठोस कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाएं ताकि नगर पंचायत के जन विकास कार्य प्रभावित न हो। इस बारे में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया था परन्तु नगर पंचायत द्वारा इस बारे

में कोई भी ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अतः उक्त गृहकर की बकाया राशि की वसूली हेतु भरसक प्रयास किए जाएं तथा इस बारे में आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए:-

| क्र0सं0 | वर्ष | प्रारम्भिक शेष | वर्ष के दौरान मांग | कुल | वर्ष के दौरान संग्रह | अन्तशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013–14 | 2490217 | 250521 | 2740738 | 72317 | 2668421 |
| 2 | 2014–15 | 2668421 | 266621 | 2935042 | 114942 | 2820100 |
| | | | **517142** | | **187259** | |

## 9 गृहकर की दर में वृद्धि/संशोधन न करने के कारण राशि ₹8.40 लाख की सम्भावित वित्तीय हानिः-

निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या यू0डी0-एच0(सी) (10) (7) दिनांक 17.11.2013 द्वारा सभी शहरी स्थानीय निकायों को सूचित किया गया कि द्वितीय राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप उनको प्राप्त होने वाली अनुदान राशि में सौ प्रतिशत की बढ़ौतरी हेतु गृहकर की न्यूनतम दर 7.5**%** में प्रतिवर्ष प्रतिशतता के आधार पर वृद्धि करके वर्ष 2006-07 तक अधिकतम दर 12.5**%** की जाएगी जिसका विवरण निम्न दिया गया हैः-

| वर्ष | गृहकर की दर |
|---|---|
| 2002–03 | 7.5 प्रतिशत |
| 2003–04 | 8.55 प्रतिशत |
| 2004–05 | 10 प्रतिशत |
| 2005–06 | 11.5 प्रतिशत |
| 2006–07 | 12.5 प्रतिशत |
| 2007–08 | 12.5 प्रतिशत |
| 2008–09 | 12.5 प्रतिशत |
| 2009–10 | 12.5 प्रतिशत |
| 2010–11 | 12.5 प्रतिशत |
| 2011–12 | 12.5 प्रतिशत |

| | |
|---|---|
| 2012–13 | 12.5 प्रतिशत |
| 2013–14 | 12.5 प्रतिशत |
| 2014–15 | 12.5 प्रतिशत |

परन्तु अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि नगर पंचायत चौपाल द्वारा वर्ष 2001 से गृहकर की न्यूनतम दर 7.5**%** को लागू किया गया था। इसके पश्चात कर में नियमानुसार कोई वृद्धि नहीं की गई। इस सम्बन्ध में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 9 में भी अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाई गई थी परन्तु नगर पंचायत कार्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। परिणामस्वरूप नगर पंचायत चौपाल को अवधि4/10 से 3/15 तक निम्नविवणानुसार ₹839863/– की आर्थिक हानि हुई जिससे स्पष्ट होता है कि नगर पंचायत गृहकर में नियमानुसार वृद्धि करने हेतु गम्भीर नहीं है। अतः सरकार द्वारा दिए गए निर्देशानुसार गृहकर में अपेक्षित वृद्धि न करने बारे तथ्यों सहित वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए। इसके अतिरिक्त गृहकर में गत वर्षों से नियमानुसार अपेक्षित वृद्धि करके इसकी वसूली भी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

| **क्र0सं0** | **वर्ष** | **7.5 प्रतिशत की दर से किया गया गृह कर का निर्धारण** | **12.5 प्रतिशत की दर से गृहकर का जो निर्धारण किया जाना अपेक्षित था** | **कम निर्धारण** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010–11 | 246066 | 410110 | 164044 |
| 2 | 2011–12 | 246066 | 410110 | 164044 |
| 3 | 2012–13 | 250521 | 417535 | 167014 |
| 4 | 2013–14 | 250521 | 417535 | 167014 |
| 5 | 2014–15 | 266621 | 444368 | 177747 |
| | | **1259795** | **2099658** | **839863** |

## 10 (क) दिनांक 31.3.15 तक दुकानों/स्टालों के देय किराया राशि ₹18.38 लाख वसूली हेतु शेषः–

दुकानदारों/स्टाल धारकों से दिनांक 31.3.15 तक देय किराये राशि ₹1837924.00 वसूली हेतु शेष थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है तथा विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ङ"** पर संलगन हैः–

| क्र0सं0 | वर्ष | प्रारम्भिक शेष | वर्ष के दौरान मांग | कुल योग | वर्ष के दौरान संग्रह | अन्तशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013–14 | 1710572 | 215316 | 1925888 | 136408 | 1789480 |
| 2 | 2014–15 | 1789480 | 215316 | 2004796 | 166872 | 1837924 |
| | | | **430632** | | | |

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2013–14 से 2014–15 तक दो वर्षों में कुल ₹2141204/– (1710572+430632) की माँग के विरूद्ध केवल ₹303280/– की वसूली की गई जो कि 14.16 प्रतिशत है। इस प्रकार वसूली की दर बहुत ही निम्न थी जोकि नगर पंचायत की कमजोर वित्तीय स्थिति का एक मुख्य कारण है। इस बारे में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी आवश्यक कार्यवाही करने को कहा गया था परन्तु नगर पंचायत ने इस बारे कोई भी ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाई है। अतः उक्त बकाया किराया राशि की वसूली हेतु नियमानुसार ठोस कार्रवाई अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

## (ख) श्री रजनीश किम्टा द्वारा खाली की गई दुकान को विलम्ब से आबंटित करने के कारण ₹83600/– की सम्भावित वित्तीय हानिः–

नगर पंचायत चौपाल के किराया मांग रजिस्टर का अवलोकन करने पर पाया गया कि श्री रजनीश किमटा द्वारा उनको आबंटित दुकान माह 2/2002 में खाली कर दी गई थी जिसे माह 4/05 में श्री रघुवीर सिंह को आंबटित किया गया था। परिणामस्वरूप उक्त दुकान माह 2/2002 से 3/2005 तक रिक्त रही जिसके कारण निम्नविवरणानुसार ₹83600/– की वित्तीय हानि का अनुमान है। इस सम्बन्ध में तथ्यों सहित वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में खाली पड़ी दुकानों को खुली बोली द्वारा अतिशीघ्र किराये पर आंबटित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि नगर पंचायत की आय में वृद्धि हो सके।

| किराया रजिस्टर पृ0सं0 | माँग रजिस्टर के अनुसार दुकान के रिक्त रहने की अवधि | प्रतिमाह किराया राशि | कुल अनुमानित हानि |
|---|---|---|---|
| 109 | 2/02 से 3/05 | 2200 | 83600 |

**(ग) श्री रघुवीर सिंह को आबंटित दुकान का उचित किराया निर्धारण न करने के कारण राशि ₹2.31 लाख की सम्भावित हानिः–**

किराया मांग रजिस्टर पृष्ठ–109 के अनुसार श्री रघुवीर सिंह को माह 4/2005 में एक दुकान आंबटित की गई जिसका मासिक किराया ₹275/– था। नगर पंचायत द्वारा उक्त दुकानदार के साथ नियमानुसार न तो कोई अनुबन्ध किया गया था और न ही मासिक किराया ही निर्धारित किया गया था जोकि नगर पंचायत स्तर पर एक गम्भीर प्रशासनिक चूक है। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पूर्व में उक्त दुकान श्री रजनीश किमटा को ₹2200/– प्रतिमाह की दर से आंबटित की गई थी जबकि किराया रजिस्टर में श्री रघुवीर सिंह क विरूद्ध ₹275/– प्रतिमास की दर से मांग दर्ज की जा रही है जोकि कम से कम पूर्व किराया राशि ₹2200/– के समतुल्य अथवा इससे अधिक होनी चाहिए थी। इस प्रकार ₹1925/– (2200–275) प्रतिमाह की दर से कम किराये की मांग किराया रजिस्टर में दर्ज की जा रही है। परिणामस्वरूप अवधि 4/05 से 3/15 तक ₹231000 (1925X120मास) की नगर पंचायत को प्रत्यक्ष वित्तीय हानि हुई। श्री रघुवीर सिंह के साथ नियमानुसार अनुबन्ध न करना तथा किराया निर्धारण किए बिना दुकान आबंटित करने पर नगर पंचायत को हुई उक्त वित्तीय हानि अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। अतः पाई गई वित्तीय अनियमितता बारे तथ्यों सहित वास्तविक स्थिति स्पष्ट करते हुए उपरोक्त हानि को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी वसूली सम्बन्धित से की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त यह सुझाव दिया जाता है कि उक्त दुकानदार से नियमानुसार किराये निर्धारणोपरान्त अनुबन्ध किया जाए व तदानुसार ही किराये की माँग/वसूली सुनिश्चित की जाए। कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

**11 बिजली उपकर की राशि ₹1.21 लाख की वसूलो न करनाः–**

म्युनिसिपल एक्ट, 1994 के नियम 66 (1) (viii) के अनुसार म्युनिसिपल परिधि में कुल बिजली खपत पर एक पैसा प्रति यूनिट बिजली उपकर म्यूनिसिपल कमेटियों का प्राप्त होना अपेक्षित है परन्तु अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.15 तक बिजली विभाग से ₹120748.60 बिजली उपकर की राशि वसूली योग्य शेष थी जिसका विवरण निम्न दिया गया हैः–

| क्र0सं0 | वर्ष | प्रारम्भिक शेष | वर्ष के दौरान | कुल | वर्ष के दौरान | अन्तशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | मांग | | संग्रह | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013–14 | 98922 | 10955 | 109877 | 0 | 109877 |
| 2 | 2014–15 | 109877 | 10871.60 | 120748.60 | 0 | 120748.60 |

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15 तक बिजली उपकर की कोई भी राशि वसूल नहीं की गई थी जोकि अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। अतः उक्त राशि की वसूली हेतु मामला बिजली विभाग के साथ गम्भीरता से उठाया जाए ताकि नगर पंचायत को उपरोक्त मूल राशि के साथ–साथ ब्याज की हो रही निरन्तर हानि से बचा जा सके। कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

## 12 मोबाईल टावरों के नवीनीकरण शुल्क की राशि ₹0.39/–लाख की वसूली हेतु शेषः–

निदेशक,शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या UDH (A) (7) 1/2006-10396-10444 दिनांक 25.9.06 के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले मोबाईल टावरों हेतु सम्बन्धित कम्पनी से ₹10000/– प्रति मोबाईल टावर स्थापित करने का शुल्क तथा ₹5000/– टावर प्रतिवर्ष नवीनीकरण शुल्क के अतिरिक्त हर पाँच वर्ष के उपरान्त 25 प्रतिशत बढ़ौतरी करके राशि प्राप्त की जानी अपेक्षित थी परन्तु दिनांक 31.3.15 का ₹38750/– की राशि वसूली हेतु शेष थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

| क्र0सं0 | मोबाईल कम्पनी का नाम | दिनांक 31.3.15 को कुल बकाया राशि | संग्रह | दिनांक 31.3.15 को शेष बकाया राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | एयर टेल टावर (वार्ड नं0 3) | 53750 | 35000 | 18750 |
| 2 | एयर टेल टावर (वार्ड नं0 5) | 36250 | 25000 | 11250 |
| 3 | रिलायन्स टावर (वार्ड नं0 2) | 53750 | 45000 | 8750 |
| | **योग** | **143750** | **105000** | **38750** |

अतः उक्त राशि ₹38750/– की वसूली हेतु ठोस कार्रवाई अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए।

## 13 बिजली/पानी के अनापत्ति प्रमाण पत्र फीस की राशि ₹500 की वसूली न करनाः–

बिजली/पानी के अनापत्ति प्रमाण पत्र रजिस्टर की पड़ताल करने पर पाया कि निम्नलिखित भवन मालिकों से बिजली/पानी के अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने पर ₹500.00 की वसूली नहीं की गई थी जोकि अनियमित है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए। अतः उक्त वसूली सम्बन्धित भवन मालिकों से अविलम्ब करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

| **क्र0 सं0** | **भवन मालिक का नाम व पता** | **अनापत्ति प्रमाण पत्र का उद्देश्य** | **अनापत्ति प्रमाण पत्र शुल्क** | **अनापत्ति प्रमाण पत्र की पृ0सं0** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री राकेश नेगी पुत्र श्री गुमान सिंह नेगी वार्ड नं0 1 | बिजली के मीटर हेतु | 100 | 21 |
| 2 | श्रीमती दीपिका कपिल पत्नी श्री अनूप कपिल वार्ड नं0 1 | –यथोपरि– | 100 | 22 |
| 3 | श्री राम कृष्ण शर्मा पुत्र श्री मोहन सिंह वार्ड नं0 6 | –यथोपरि– | 100 | 23 |
| 4 | श्री बन्शी लाल, पुत्र श्री तान्या राम वार्ड नं0 1 | –यथोपरि– | 100 | 24 |
| 5 | श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री जीन्गा राम वार्ड नं0 1 | पानी के मीटर हेतु | 100 | 27 |
| | | **योग** | **500** | |

उपरोक्त क्रम संख्या 5 पर वर्णित भवन मालिक ने ₹100/– की राशि रसीद संख्या 3464 दिनांक 1.5.15 को अंकेक्षण के दौरान ही जमा करवा दी है जिसकी पुष्टि भी अंकेक्षण में कर ली गई है।

## 14 नक्शा अनुमोदन शुल्क की राशि ₹381.00 की वसूली न करनाः–

नक्शा स्वीकृति रजिस्टर की पडताल करने पर पाया कि निम्नलिखित भवन मालिकों से नक्शा स्वीकृत करने पर ₹381/– की कम वसूली की गई थी जोकि अनियमित है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए। अतः उक्त वसूली सम्बन्धित भवन मालिकों से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

| **क्र0सं0** | **भवन मालिक का** | **भवन का नक्शा** | **स्वीकृत** | **प्राप्त** | **कम वसूली** |
|---|---|---|---|---|---|

| | नाम व पता | रकवा | करने का देय शुल्क Domestic @ ₹2.5/- Sqm & Commercial @₹5/-Sqm. | शुल्क | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री किरपा राम पुत्र श्री रहनू राम वार्ड सं0 4 | 583.2 वर्ग मी0 (घरेलू) | 1458 | 1190 | 268 |
| 2 | श्री दयानन्द पुत्र श्री रहनू राम वार्ड सं0 7 | 872.5 वर्ग मी0 (घरेलू)<br>45.44 वर्ग मी0 (वाणिज्य) | 2181<br>227<br>2408 | 2295 | 113 |
| | | | | **योग** | **381** |

उपरोक्त क्रम संख्या 1 पर वर्णित भवन मालिक ने ₹268/– की राशि रसीद संख्या 2463 दिनांक 1.5.15 को अंकेक्षण के दौरान ही जमा करवा दी है जिसकी पुष्टि भी अंकेक्षण में कर ली गई है।

## 15 जन्म/मृत्यु पंजीकरण शुल्क राशि ₹40.00 की वसूली न करनाः–

जन्म/मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में जन्म/मृत्यु पंजीकरण शुल्क की वसूली नहीं की गई थी। अतः ₹40/– की वसूली न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए और अपेक्षित शुल्क की वस्ली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

**(क)**

| क्र0सं0 | शिशु पंजीकरण की तिथि | शिशु का नाम | पता | वसूली योग्य राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.4.13 | कार्तिक | वार्ड नं0 4 नगर पंचायत, चौपाल | 10 |
| 2 | 23.8.14 | तनमेय | ग्राम टिपरा डा0 देवत तहसील चौपाल | 10 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 5.1.15 | बबी | ग्राम बगाह डा0 माटल तहसील चौपाल | 10 |

(ख)

| क्र0सं0 | पंजीकरण की तिथि | मृतक का नाम | पता | वसूली योग्य राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.1.13 | शान्ती देवी | वार्ड नं0 1 नगर पंचायत चौपाल | 10 |
| | | | **कुल योग** | **40** |

## 16 रसीद संख्या 2691 से प्राप्त राशि को रोकड़ बही में जमा न करने बारेः–

नगर पंचायत, चौपाल द्वारा प्राप्त आय की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि रसीद संख्या 2691 अभिलेख में मौजूद नहीं थी और न ही इससे प्राप्त राशि को रोकड़ बही में लिया गया जोकि एक गम्भीर आपत्ति है इस बारे में नगर पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 3 (1) दिनाँक 28.04.15 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक काई भी प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त रसीद बारे पूर्ण छानबीन करके वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए व तदानुसार अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 17 बिजली के बिलों की राशि के ₹0.39 लाख का अनियमित भुगतानः–

नगर पंचायत, चौपाल द्वारा रैन बसेरा भवन एच0पी0एम0सी0 को माह 4/2006 से दो कमरे, एक हॉल कार्यालय एवं गोदाम ₹3218/– प्रतिमाह की दर से किराये पर आंबटित किए थे। उक्त कार्यालय एवं गोदाम में नगर पंचायत के नाम से बिजली का मोटर (खाता संख्या 149) स्थापित है। जिसका उपयोग एच0पी0एम0सी0 द्वारा किया जा रहा है। परन्तु उक्त मीटर के बिजली बिलों का भुगतान नगर पंचायत द्वारा ही किया जा रहा है जोकि अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। परिणामस्वरूप नगर पंचायत द्वारा अवधि 4/2006 से 3/2015 तक ₹39211/– की राशि का उक्त मीटर के बिजली बिलों के रूप में भुगतान किया गया जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट "च"** पर संलग्न है। अतः उपरोक्त राशि

के भुगतान बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इसकी वसूली एच0पी0एम0सी0 से तुरन्त सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

## 18 बिजली के बिलों को देरी से जमा करवाने के फलस्वरूप ₹626/– का अधिक भुगतानः–

माह 11/14 के व्यय वाउचरों की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि बिजली के विभिन्न बिलों का भुगतान देय तिथि के उपरान्त करने के कारण नगर पंचायत द्वारा ₹626/– का अधिक भुगतान किया है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 7 दिनांक 30.4.15 द्वारा नगर पंचायत को स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस सम्बन्ध में कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः ₹626/– की राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर पंचायत के खाते में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

| क्र0सं0 | वा0सं0 व माह | बिल संख्या | देय तिथि को देय राशि | राशि जिसका भुगतान देय तिथि के उपरान्त किया गया | अधिक भुगतान की गई राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 माह 11/13 | 1631229 | 28364 | 28915 | 551 |
| 2 | 2 माह 11/13 | 1628332 | 2057 | 2096 | 39 |
| 3 | 2 माह 11/13 | 1628341 | 959 | 977 | 18 |
| 4 | 2 माह 11/13 | 1628342 | 956 | 974 | 18 |
| | | | | **योग** | **626** |

## 19 विभिन्न वस्तुऐं क्रय करने पर ₹0.38 लाख का अनियमित भुगतानः–

नगर पंचायत क लेखों माह 4/13 तथा 11/14 के व्यय वाउचरों की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित फर्मों को विभिन्न वस्तुओं की खरीद पर ₹37866/– का भुगतान किया गया था। उक्त भुगतान करने से पूर्व हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 के नियम 98 के अनुसार आवश्यक औपचारिकताऐं पूर्ण नहीं की गई थी। उक्त नियमानुसार ₹3000/– से अधिक के सामान की खरीद पर या तो निविदाऐं आमन्त्रित की जानी थी या क्रय समिति की संस्तुति प्राप्त की जानी अपेक्षित थी परन्तु निम्न प्रकरणों में सामान क्रय करने

से पूर्व उपरोक्त औपचारिकताऐं पूर्ण नहीं की गई थी। इस सम्बन्ध मे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 5 दिनांक 28.4.15 द्वारा नगर पंचायत को स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक नगर पंचायत से कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः ₹37866/– के अनियमित व्यय बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इसे सक्षम प्राधिकारो की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए जिसकी अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

| **क्र0सं0** | **वा0सं0 व माह** | **फर्म का नाम जिसे भुगतान किया गया** | **खरीद की गई सामग्री का नाम** | **राशि** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 माह 4/13 | श्री अली जनरल स्टोर मैन बाजार, चौपाल जिला शिमला | विभिन्न प्रकार का टीर स्टील | 12080 |
| 2 | 9 माह 4/13 | मै0 आर0के0 इलैक्ट्रीकल एण्ड इलैक्ट्रोनिक्स, चौपाल जिला शिमला | विभिन्न प्रकार का बिजली का सामान | 8250 |
| 3 | 2 (ii) माह 11/14 | कृष्णा हार्डवेयर, चौपाल | –यथोपरि– | 11035 |
| 4 | 4 माह 11/14 | –यथोपरि– | विभिन्न प्रकार का कार्यालय उपयोग का सामान | 6501 |
| | | | **योग** | **₹37866** |

## 20 मानदेय राशि ₹5200/– का अनियमित भुगतानः–

वाउचर संख्या 1 माह 4/13 की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा श्री देविन्द्र सिंह, पटवारी पटवार वृत चौपाल को माह 2/13 से ₹200/– प्रतिमाह की दर से मानदेय का भुगतान किया जा रहा था। उक्त कर्मचारी को मानदेय किस उद्देश्य और किन आदेशों के अन्तर्गत प्रदान किया गया के बारे में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 4 दिनांक 28.4.2015 द्वारा नगर पंचायत को स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया परन्तु लखा परीक्षा की समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर नहीं हुआ। अतः माह 2/13 से 3/15 तक ₹5200/– की राशि के भुगतान को नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके नगर पंचायत के खाते में जमा की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना अंकेक्षण को भी दिखाई जाए।

## 21 संविदाकार को राशि ₹0.10 लाख का अधिक भुगतानः–

कार्य का नामः– C/O R/Wall in Tehsil Road near at Uco Bank Chopal Distt. Shimla (H.P.)

लेखा शीर्षः– राज्य वित्त आयोग अनुदान

संविदाकारः– श्री रमेश चन्द

अनुबन्ध संख्याः– 041 दिनांक 3.7.13

बिल संख्याः– प्रथम एवं अन्तिम बिल

अनुबन्ध राशिः– ₹61254/–

वाउचर संख्याः– 4 दिनांक 9.7.13 राशि ₹56909/–

मापन पुस्तिका संख्याः– 0005 पृष्ठ–24 व 25

### (क) गलत गणना के कारण ₹2650/– का संविदाकार को अधिक भुगतानः–

उपरोक्त कार्य के प्रथम एवं अन्तिम बिल द्वारा किए गए उपरोक्त राशि के भुगतान की पड़ताल करने पर पाया गया कि बिल की मद संख्या 3 द्वारा वर्णित कार्य स्टोन मैशनरी इन सीमेन्ट मोर्टर 1:6 से सम्बन्धित की मात्रा 4.47 घन मीटर का भुगतान मापन पुस्तिका पृष्ठ 24 पर ₹5000/– प्रति घन मीटर की दर से किया गया था जबकि वास्तविक गणना के अनुसार कार्य मात्रा 3.94 घन मीटर (1x7.30x0.15x3.60) बनती थी। इस सम्बन्ध में अधियाचना संख्या 11 दिनांक 11.5.15 द्वारा नगर पंचायत चौपाल से वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने को किया गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक नगर पंचायत से इस बारे में कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अत 0.53 घन मी0 (4.47–3.94) कार्य मात्रा का ₹2650 (0.53X5000) का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली सम्बन्धित संविदाकार से करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

**(ख) P/L Cement Concrete 1:3:6 की निष्पादित कार्य मद में CC Bond की कार्य मात्रा का ₹4560 का अधिक भुगतानः–**

उपरोक्त कार्य की मद संख्या 4 (P/L Cement Concrete 1:3:6 in foundation in plinth) की कार्य मात्रा 7.88 घन मीटर (1x7.30x(0.33+0.27/2)x3.60) का निष्पादन किया गय जिसमें तीन 1:3:6 के सी0सी0 Bond भी डाले गए दर्शाए गए थे जिनकी कार्य मात्रा (0.39+0.38+0.37=1.14) घन मीटर थी। जबकि उपरोक्त कार्य में Bond डालने का कोई औचित्य नहीं था क्योंकि मद पहले ही सी0सी0 में निष्पादित की गई थी। इस प्रकार नगर पंचायत द्वारा कुल ₹7.88+1.14=9.02 घन मीटर कार्य मात्रा का ₹4000/– प्रति घन मीटर की दर से ₹36080/– का भुगतान किया गया। परिणामस्वरूप सी0सी0 Bond की 1.14 घन मीटर की कार्य मात्रा का ₹4000/– प्रति घन मीटर की दर से ₹4560/– का अनियमित रूप से अधिक भुगतान संविदाकार को किया गया। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 11 दिनाँक 11.5.15 द्वारा नगर पंचायत, चौपाल से वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक नगर पंचायत से इस बारे में कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः ₹4560/– की वसूली सम्बन्धित संविदाकार से शीघ्र करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

## (ग) संविदाकार के बिल से ₹2451/– की संवैधानिक कटौतियाँ न करनाः–

उपरोक्त बिल में निष्पादित की गई कार्य मदों की कुल राशि ₹61254/– थी जिसमें से निम्न विवरणानुसार संवैधानिक कटौतियाँ की जानी अपेक्षित थी परन्तु इस प्रकार की संवैधानिक कटौतियाँ उपरोक्त बिल से नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप संविदाकार को ₹2451/– का अनियमित प्रकार से अधिक भुगतान किया गया। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 11 दिनांक 11.5.15 द्वारा नगर पंचायत से वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने बारे परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक नगर पंचायत से इस बारे में कोई भो प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः उपरोक्त राशि की वसूली संविदाकार से शीघ्र करके सम्बन्धित विभागों में जमा कारवाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षणको अवगत करवाया जाएः–

| **क्र0सं0** | **संवैधानिक कटौती का नाम** | **कटौती की दर** | **कटौती की राशि** |
|---|---|---|---|
| 1 | आयकर | 1 प्रतिशत | 613 (61254X1%) |
| 2 | बिक्री कर | 2 प्रतिशत | 1225 (61254X2%) |
| 3 | लेबर सैस | 1 प्रतिशत | 613 (61254X1%) |

| | |
|---|---|
| योग | 2451 |

## (घ) कार्य स्थल पर लाये गये पत्थरों की प्रमात्रा पर नियमानुसार ₹632/– की रॉयलिटी की वसूली न करनाः–

प्रधान सचिव, उद्योग के पत्र संख्या खण्ड–11 (एफ) 6–5/2006, दिनांक 16.1.2012 के अनुसार विभिन्न निर्माण सामग्री जैसे स्टोन, पत्थर, रेत, बजरी, चूना पत्थर, संगमरमर आदि के खनन पर नियत दरों अनुसार रॉयलिटी देय है। उपरोक्त बिल में मापन पुस्तिका संख्या 0005 पृष्ठ–24 पर स्टोन वर्क के निष्पादन हेतु अनुबन्धित मद संख्या 3 के लिए 4.47 घन मीटर कार्य मात्रा का निष्पादन किया गया था जिसके लिये संविदाकार द्वारा निम्न विवरणानुसार 6.81 घन मीटर पत्थरों का उपयोग किया गया। उपयोग किए गये पत्थरों के लिये उक्त पत्रानुसार या तो फार्म एम0 प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था या नगर पंचायत स्त्तर पर नियमानुसार रॉयलिटी की कटौती की जानी अपेक्षित थी परन्तु अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किये गये अभिलेख में इस प्रकार की कोई भी कटौती नहीं की गई थी जिसके फलस्वरूप ₹632/– की रॉयलिटी के रूप में कटौती न करके सरकार को परोक्ष रूप से हानि पंहुचाई गई है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 11 दिनांक 11.5.15 द्वारा नगर पंचायत से स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक नगर पंचायत से इस बारे में कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः ₹632/– की कटौती संविदाकार से शीघ्र करके सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

| अनुबन्धित मद सं0 | मद का विवरण | पत्थर की निष्पादित कार्य मात्रा | उपयोग की गई पत्थर की मात्रा | टनों में मात्रा | रॉयलिटी प्रति टन | राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Square Rubble Masonry in CM 1:6 in substructure | 4.97 Cum | 6.81 cum (4.97x1.37) | 15.80 (6.81x2.32) | 40 | 632 |

**22 बजरी की आपूर्ति हेतु संविदाकार को राशि ₹1109/–का अधिक भुगतानः–**

कार्य का नामः– C/O cement concrete road, Lankaravir Mandir towards Sr. Sec. School Ground in ward No. 7 N.P. Chopal

लेखा शीर्षः– राज्य वित्त आयोग अनुदान

कार्य आरम्भ करने की तिथिः– 12.4.13

कार्य समाप्ति की तिथिः– 21.4.13

मापन पुस्तिका संख्याः– 0006 पृष्ठ–10

उपरोक्त मद जिसे लेबर रेट (Mustrol) पर निपादित करने हेतु 370 बैग (370x1.25=462.50cft) Agg. (Bajri) का क्रय ₹60/– प्रति बैग की दर से मै0 ठाकुर रोड़ लाईन चौपाल से बिल संख्या 96 दिनांक 17.4.13 द्वारा किया गया जिस हेतु सप्लायर को ₹22200/– का भुगतान किया गया। उपरोक्त 462.50 cft (462.50x5%) के voids का यानि 18.49 बैग (23.12+1.25) का ₹60/- बजरी से नियमानुसार 5 प्रतिशत Voids की कटौती नहीं की गई थी। अतः 23.12 cft प्रति बैग की दर से ₹1109/– की कटौती उपरोक्त बिल से नहीं की गई। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 12 दिनांक 11.5.15 द्वारा नगर पंचायत से वास्तविक स्थिति स्प्ष्ट करने को कहा गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक नगर पंचायत से इस बारे में कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः ₹1109/– की राशि की वसूली सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता से करक अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

**23 विविध :–**

**(क) भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः–**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि भण्डार मदों का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। नियमानुसार भण्डार मदो ंका वर्ष में एक बार पत्यक्ष सत्यापन किया जाना आवश्यक है। इस बारे में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी आवश्यक कार्यवाही करने को कहा गया था परन्तु नगर पंचायत द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी कार्रवाइ नहीं की गई। अतः भण्डार मदो का नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्यक्ष सत्यापन न किए जाने बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**(ख) रोकड़ बही का नियमानुसार रख–रखाव न करनाः–**

रोकड़ बही के अवलोकन पर पाया गया कि अवधि 4/13 से 3/15 की रोकड़ बही को नियमानुसार तैयार नहीं किया गया है और न ही प्रत्येक माह के अन्त में बैंक से रोकड़ बही का मिलान नहीं किया जा रहा है जोकि उचित नहीं है। अतः रोकड़ बही का हिमाचल प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता 1975 के नियम 19 (2) के अनुसार रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

**24 लघु आपत्ति विवरणिका** :– इसे अलग से जारी नहीं किया गया।

**25 निष्कर्ष** :– लेखाओं व कैश बुक के रख–रखाव में अत्याधिक सुधार किये जाने के साथ–2 वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन व गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु अपेक्षित कार्रवाई की जाने की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :– फिन (एल0ए0)एच (2)सी 15(V) 81/85 खण्ड–5592–5593 दिनांक18.09. 2015, शिमला–171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :–

1. निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला–2. को पैरा 1 (ख) द्वारा वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

**पंजीकृत** :– 2. सचिव, नगर पंचायत चौपाल, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक मास के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

## परिशिष्ट "क" पैरा संख्या 1 (ग) के सन्दभ में

## (क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1985 से 3/1990

| | | |
|---|---|---|
| (1) | पैरा 6 | अशतःनिर्णीत |
| (2) | पैरा 7(1) | निर्णीत |
| (3) | पैरा 8(i) | अनिर्णीत |
| (4) | पैरा 9(i)(ii)(iii) | अनिर्णीत |
| (5) | पैरा 10 | निर्णीत |
| (6) | पैरा 13 | अनिर्णीत |
| (7) | पैरा 14 | अनिर्णीत |
| (8) | पैरा 15(i)(ii)(iii)(iv)(v) | अनिर्णीत |
| (9) | पैरा 15(बी)(सी)(डी)(ई) | अनिर्णीत |
| (10) | पैरा 16 | अनिर्णीत |
| (11) | पैरा 17(i)(ii)(iii)(iv)(vi)(vii)(viii) | अनिर्णीत |

## (ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1991 से 03/1994

| | | |
|---|---|---|
| (1) | पैरा 7 (ii) | निर्णीत |
| (2) | पैरा 8 (ख) | निर्णीत |
| (3) | पैरा 11 (1)(2)(7) (10) | निर्णीत |
| (4) | पैरा 11 (3) (4) (11) (12) | अनिर्णीत |

## (ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1994 से 03/2004

| | | |
|---|---|---|
| (1) | पैरा 5 (क)(ख) | अनिर्णीत |
| (2) | पैरा 6 (ख) | निर्णीत |
| (3) | पैरा 7 (ग) | निर्णीत |
| (4) | पैरा 7 (च, ज) | अनिर्णीत |
| (5) | पैरा 7 (झ) | निर्णीत |
| (6) | पैरा 8 (क, ख) | निर्णीत |
| (7) | पैरा 8 (ग, ङ, च, छ) | अनिर्णीत |
| (8) | पैरा 8 (ऋ, प) | अनिर्णीत |
| (9) | पैरा 8 (ङ) फ से म तथा त | निर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| (10) | पैरा 9 | अनिर्णीत |
| (11) | पैरा 10(1)(2)(3) | निर्णीत |
| (12) | पैरा 10(क)(1)(2)(3) | अनिर्णीत |
| (13) | पैरा 10 (ख) (ग) (घ) (ङ) (च) (छ) (ज) (झ) (ञ) (प) (फ) | अनिर्णीत |
| (14) | पैरा 11 | निर्णीत |
| (15) | पैरा 13 | अनिर्णीत |

दिनांक 29.06.15 व 30.6.15 को अतिरिक्त निदेशक महोदय व सहायक निदेशक की निरीक्षण रिपोर्ट के दृष्टिगत पैरा निर्णीत

## (घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2004 से 3/2008

| | | |
|---|---|---|
| (1) | पैरा 2 | निर्णीत |
| (2) | पैरा 5(i)(ii)(iii)(iv) (vii) | निर्णीत |
| (3) | पैरा 5 (vi) (viii) | अनिर्णीत |
| (4) | पैरा 5 (ix) | निर्णीत (अवधि 4/13 से 3/15 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित) |
| (5) | पैरा 6(i)(iii) | अनिर्णीत |
| (6) | पैरा 6(ii) | निर्णीत |

## (ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2008 से 3/2010

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 3 | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 4 (क, ख) | निर्णीत |
| 3 | पैरा 8 | निर्णीत |
| 4 | पैरा 9 | निर्णीत |
| 5 | पैरा 10 | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 15 | निर्णीत |
| 7 | पैरा 16 | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा 17 (क) | निर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 9 | पैरा 19 | निर्णीत |
| 10 | पैरा 20 | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा 22 | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा 26 | निर्णीत |

### (च) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2010 से 3/2013</u>

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा 3 | निर्णीत | (अवधि 4/10 से 3/13 का अंकेक्षण शुल्क ₹18000/– चैक संख्या 982636 दिनाँक 4.9.13 द्वारा जमा करवा दिया है) |
| 2 | पैरा 4 (क, ख, ग, घ) | निर्णीत | (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः पारूपित) |
| 3 | पैरा 4 (ङ) | निर्णीत | (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित) |
| 4 | पैरा 4 (च) | निर्णीत | (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित) |
| 5 | पैरा 5 | निर्णीत | (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित) |
| 6 | पैरा 6 | निर्णीत | (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित) |
| 7 | पैरा 7 | अनिर्णीत | |
| 8 | पैरा 8 | निर्णीत | (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित) |
| 9 | पैरा 9 | निर्णीत | (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित) |
| 10 | पैरा 10 | निर्णीत | (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित) |
| 11 | पैरा 11 | निर्णीत | (दुकानें अभिलेखानुसार रिक्त न होकर वास्तव में आबंटित थी। अब सम्बन्धित |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | दुकानदारों की दिनांक 31.3.15 तक की किराये की बकाया राशि को मांग रजिस्टर में दर्ज कर दिया गया है) |
| 12 | पैरा 12 | निर्णीत | (सम्बन्धित दुकानदार से दिनांक 31.3.15 तक की किराये की बकाया राशि को मांग विवरणी में शामिल करने के उपरान्त) |
| 13 | पैरा 13 | अनिर्णीत | |
| 14 | पैरा 14 | निर्णीत | (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित) |
| 15 | पैरा 15 (क, ख, ग, घ) | अनिर्णीत | |
| 16 | पैरा 16 | निर्णीत | (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित) |
| 17 | पैरा 17 | अनिर्णीत | |
| 18 | पैरा 18 | अनिर्णीत | |
| 19 | पैरा 19 | अनिर्णीत | |
| 20 | पैरा 20 | अनिर्णीत | |
| 21 | पैरा 21 | अनिर्णीत | |
| 22 | पैरा 22 | अनिर्णीत | |
| 23 | पैरा 23 | अनिर्णीत | |
| 24 | पैरा 24 | अनिर्णीत | |
| 25 | पैरा 25 | निर्णीत | (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित) |
| 26 | पैरा 26 | अनिर्णीत | |
| 27 | पैरा 27 | अनिर्णीत | |
| 28 | पैरा 28(क, ख, ग) | अनिर्णीत | |